

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठारीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 27/2023

GCMS NO-2023/27

प्रार्थी
प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नवाम
अधिकारी, जैसलमेर।

अप्रार्थी

1. श्री सत्यनारायण चांडक पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 57 वर्ष निवासी ठाकुरजी के मंदिर के पास चांडक पाड़ा श्री मोहनगढ जिला जैसलमेर (मांशिक) मैसर्स पंकज ट्रेडर्स सदर बाजार श्री मोहनगढ जैसलमेर 7014120433
2. श्री पवन जैन पुत्र श्री मूलचंद जैन उम्र 36 वर्ष निवासी 19/635 चौपासानी हाउसींग बोर्ड जोधपुर मैसर्स नदिनी रोल्स कॉरपोरेशन शीप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर 9829570815
3. श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6 लखारा शिव मंदिर के पास नोखा बीकानेर पिन 334803 मो 9928085804
4. मैसर्स नदिनी रोल्स कॉरपोरेशन शीप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर.

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01की ओर से अधिवक्ता महेश कुमार माहेश्वरी व 2 से 04 की तरफ से पवन जैन उपस्थित।

दिनांक: 07.06.2023

:: निर्णय ::

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2023 को दोपहर 03.10 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स पंकज ट्रेडर्स सदर बाजार श्री मोहनगढ जैसलमेर पर विक्रेता 1. श्री सत्यनारायण चांडक पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 57 वर्ष निवासी ठाकुरजी के मंदिर के पास चांडक पाड़ा श्री मोहनगढ जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर गाय का घी हरदयाल (सॉई आर्शीवाद) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मांशिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय का घी हरदयाल (सॉई आर्शीवाद) 1लीटर के 4 पैकेट नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 2400/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय का घी हरदयाल (सॉई आर्शीवाद) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वास्ते परीरक्षक फॉर्मलीन की 40-40 वूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं रीरियल नम्बर एन-1561 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलप एन-1561 नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1561 गाय का घी हरदयाल (सॉई आर्शीवाद) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी एफएसओ जैसलमेर के द्वारा दिनांक 20.02.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 8 की दो प्रतिमा के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 16.02.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/3209 दिनांक 08.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./305/Act/2023/348 दिनांक 28.02.2023 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कामजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/एन-1561/4212-13 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री सत्यनारायण चांडक पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 57 वर्ष निवासी ठाकुरजी के मंदिर के पास चांडक पाड़ा श्री मोहनगढ जिला जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मैसर्स पंकज ट्रेडर्स सदर बाजार श्री मोहनगढ जैसलमेर 2. श्री पवन जैन पुत्र श्री गूलचंद जैन उम्र 36 वर्ष निवासी 19/535 चौपासनी हाउसींग बोर्ड जोधपुर मैसर्स नंदिनी सेल्स कॉरपोरेसन शॉप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर 3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6 लखारा शिव मंदिर के पास नोखा बीकानेर 4. मैसर्स नंदिनी सेल्स कॉरपोरेसन शॉप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ गाय का घी हरदयाल (सॉई आशीवाद) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पैकेट में ही गाय का घी हरदयाल (सॉई आशीवाद) का क्रय किया था तथा उर्री अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था उसके द्वारा कोई हेर फेर नहीं की गयी है। प्रार्थी 01 से 04 ने जानबूझकर हेराफेरी नहीं की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./305/Act/2023/348 दिनांक 28.02.2023 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के गाय का घी हरदयाल (सॉई आशीवाद) खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री सत्यनारायण चांडक पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 57 वर्ष निवासी ठाकुरजी के मंदिर के पास चांडक पाड़ा श्री मोहनगढ जिला जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मैसर्स पंकज ट्रेडर्स सदर बाजार श्री मोहनगढ जैसलमेर 2. श्री पवन जैन पुत्र श्री गूलचंद जैन उम्र 36 वर्ष निवासी 19/535 चौपासनी हाउसींग बोर्ड जोधपुर मैसर्स नंदिनी सेल्स कॉरपोरेसन शॉप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर 3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6 लखारा शिव मंदिर के पास नोखा बीकानेर 4. मैसर्स नंदिनी सेल्स कॉरपोरेसन शॉप नं ए 7 मण्डोर मंडी जोधपुर फर्म के मिथ्याछाप स्तर का गाय का घी हरदयाल (सॉई आशीवाद) खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 04 पर 5,000/- अक्षर पांच हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्ति, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को चारते पालनार्थ भिजवाई जावे। वाद पालना पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर